



बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

(जैव विविधता अधिनियम-2002 अंतर्गत सांविधिक निकाय)

Bihar State Biodiversity Board

(Statutory Body under Biological Diversity Act. 2002)



स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम) में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के लिए महत्वपूर्ण सूचना।

(दिनांक- 04.10.2025 को प्रकाशित प्रथम सूचना तथा दिनांक- 22.11.2025 को प्रकाशित द्वितीय सूचना के क्रम में तृतीय प्रकाशन)

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) की धारा-43(1) के तहत स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्थानीय जैव विविधता निधि (Local Biodiversity Fund-LBF) का संधारण करने का प्रावधान किया गया है जिसमें निम्न स्त्रोतों से प्राप्त निधि को जमा किया जा सकेगा :-

1. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण,
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान और ऋण,
3. राज्य जैव विविधता पर्षद से प्राप्त अनुदान और ऋण,
4. सम्बन्धित जैव विविधता समितियों द्वारा प्राप्त फीस,
5. ऐसे अन्य संसाधनों से प्राप्त राशि जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया हो।

उपरोक्त स्त्रोतों से प्राप्त निधि का उपयोग राज्य सरकार अथवा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिकता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामुदायिक फायदों के लिए, जहाँ तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण से संगत है, एवं समिति के प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।

इन बैंक खातों का संचालन उक्त समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

इस प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य में गठित समस्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों के नाम से बिहार ग्रामीण बैंक में खाता खोलने एवं संधारित करने का निर्णय लिया गया है। शीघ्र खाता संधारण से संबंधित एक अनुदेश सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा भी निर्गत किया गया है। अध्यक्ष, बिहार ग्रामीण बैंक, पटना द्वारा भी सभी स्थानीय शाखाओं को शीघ्र खाता संधारण कराने का निदेश दिया गया है। दोनों पत्र संलग्न क्यूआर कोड को स्कैन कर देखे जा सकते हैं।

अतः जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों से अनुरोध है कि इस प्रयोजनार्थ बिहार ग्रामीण बैंक के निकटस्थ शाखा से सम्पर्क कर अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किये जाने पर स्थानीय जैव विविधता निधि (Local Biodiversity Fund-LBF) खाता खुलवाने की कार्यवाई की जाय जिससे समिति के वैधानिक कार्यों का सम्पादन शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके।



सचिव

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद।

जै व वि वि ध ता : बेहतर संतुलन, स्वस्थ पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण, समृद्ध जीवन।